

Sixteenth Lok Sabha

an>

Title : Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND
MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH
VARDHAN): I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Science Congress Association, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Science Congress Association, Kolkata, for the year 2016-2017.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9109/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Science and Engineering Research Board, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Science and Engineering Research Board, New Delhi, for the year 2016-2017.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9110/16/18]

- (5) A copy of the Science and Engineering Research Board (Secretary, Terms and Conditions of Service and Recruitment) (Amendment) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. SERB/RR-Secy/01/2016 in Gazette of India dated 9th March, 2018 under sub-section (3) of Section 4 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008.... (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 9111/16/18]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9112/16/18]

- (2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2017, जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1534 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2017, जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2017, जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1536(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2017, जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1537(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1584(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छ:) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2017, जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1585(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2017, जो 27 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1586(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 2017, जो 27 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1587(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2017, जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1604(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 2017, जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1605(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (यारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2018, जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 197(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018, जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198(अ) में प्रकाशित हुए थे। ... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 9113/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): I beg to lay on the Table: -

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -
 - (i) Review by the Government of the working of the Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above. (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 9114/16/18]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9115/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): On behalf of Shri P. P. Chaudhary, I beg to lay on the Table: -

- (1) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2015-2016 alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above. ... (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 9116/16/18]